

सेवा में

(30)

श्रीमान प्रधानाचार्य जी
विगाठवर जैन पालीटेम्पल
कोडात (कांगपत)

विषय

शु - रावण पार्टील ई. डी. में लिंग हेतु गणनापत्र

महायम

शुविनय निवेदन यह है कि मेरी शु रावण
पार्टील आडडी में मेरी जाती में जनरल
प्रयोजित है कृपया आप मेरी जाती
में जनरल के स्थान पर (O.B.C)
पिछडा वर्ग है । कृपया इसे सही
करने की कृपया करें।

धन्यवाद

नाम - नितेश कुमार
कॉच - इलेक्ट्रॉनिक्स द्वितीय
वर्ष

Enroll No - E18111833000027



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला शमली
तहसील शमली
आवेदन क्र० 74003140023271
प्रमाणपत्र क्र० 740231411435

जारी दिनांक: 02/08/2014

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री - नितीश कुमार
निवासी - महाबीर सिंह
ग्राम 02, अगडोपूर मजरा टपराणा
तहसील टपराणा 01
जिला शमली
शमली



उत्तर प्रदेश राज्य की धीवर जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1998 की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि - नितीश कुमार पूर्वोक्त अधिनियम 1998 (यथा संशोधित) की अनुसूची 2 (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो 30 प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2002 एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक 20 अक्टूबर 2006 द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय पाँच लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम 1999 में तथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी करने केन्द्र: सीएमएस जन सेवा केंद्र
पद: अमित महेश्वरी बलवा, केन्द्र प्रभारी IM
स्थान: बलवा, शमली, शमली 3, शमली
दिनांक: 02/08/2014
हस्ताक्षर एवं मुहर

Digitally Signed by
Muhammad Islam

(SN=420978374381283C543B)

सकल अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
शमली, शमली
दिनांक: 02/08/2014

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल सिस्टम द्वारा तैयार किया गया तथा सकल अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से इस्तेमालित है एवं सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://opstinc.op.nic.in> पर सत्यापित किया जा सकता है।

नितीश कुमार